



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1982
भाद्रपद 6, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2649 / सत्रह-वि०-1-(क) 18-1982
लखनऊ, 10 सितम्बर, 1982

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 9 सितम्बर, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1982)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982
कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम
और प्रासङ्ग

(2) यह 19 जून, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
19 सन् 1950
की धारा 4 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

“(9) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1982 के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार पचास करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संचित निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।”

निरसन और
अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानते इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 22
सन् 1982

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2649(2)/XVII-V—1(Ka)-18-1982.

Dated Lucknow, September, 10, 1982

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Akasmikata Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 1982.

**THE UTTAR PRADESH CONTINGENCY FUND (AMENDMENT)
ACT, 1982**

[U. P. ACT NO. 23 OF 1982]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and
commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 19, 1982.

Amendment of
section 4 of U.P.
Act no. XIX of
1950.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Contingency Fund Act, 1950, after sub-section (8), the following sub-section shall be inserted, namely :

“(9) The State Government shall, on the commencement of the Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Act, 1982, withdraw a further sum of fifty crores of rupees out of the Consolidated Fund of the State and place the same to the credit of the Fund.”

Repeal and
savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Contingency Fund (Amendment) Ordinance, 1982 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act; as if the provisions of this Act were in force at all material times.

U. P. Ordinance no. of 1982.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.